# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

**पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.**

**प्रकरण सं0 24 / 2022** **दायर दिनांकः 08 / 09 / 2022**

उनवान

1. मुनेष कुमार पुत्र राजमल जाति मीणा निवासी नारायणपुरा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, तहसील अटरू जिला बारां राज0।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थिति :—

प्रार्थीः—विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन

आदेश दिनाकः 15 / 12 / 2022

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल बडोरा तहसील अटरू जिला बारां राज0 में पुराना ख0नं0 1387 का रकबा 14 बीघा 3 बिस्वा आराजी खातेदार बद्रीलाल पुत्र दुर्गालाल जाति बारेठ निवासी बडोरा हाल मेरमातालाब तहसील अटरू के खाते की थी। उक्त आराजी को वादी मुनेष कुमार द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख से दिनांक 15.05.1986 को क्रय की थी जो नामान्तरण संख्या 712 दिनांक 15.05.1986 को क्रय की थी जो नामान्तरण संख्या 712 दिनांक 06.06.1986 को वादी के खाते दर्ज हो गई थी। दौराने सेटलमेन्ट पुराने ख0नं0 1387 का रकबा 14 बीघा 3 बिस्वा का नवीन खाता संख्या 98 का ख0नं0 1489 का रकबा 2.18 है0 बनाया है। इसी तरह से वादी द्वारा ग्राम एवं माल बडौरा तहसील अटरू जिला बारां राज0 की आराजी खाता संख्या 210 का ख0नं0 1502 का रकबा 2.00 है0, ख0नं0 1503 का रकबा 0.03 है0 तथा ख0नं0 1504 का रकबा 0.78 है0 कुल किता 3 का कुल रकबा 2.81 है0 खातेदार दौली बाई बेवा जगन्नाथ जाति माली निवासी रायपुरिया तहसील अटरू जिला बारां से जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख द्वारा दिनांक 25.06.2002 को क्रय की थी जो नामान्तकरण संख्या 325 दिनांक 24.07.2002 को खाते दर्ज हो गई थी। दोनों

ही विक्रय विलेख तथा नामान्तकरण की फोटो कॉपी वाद पत्र के साथ संलग्न है। वाद पत्र के मद नं0 1 में दर्ज आराजी वादी द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख द्वारा क्रय की थी जो नामान्तकरण संख्या 712 तथा 325 से वादी के नाम खाता दर्ज हो गई थी। विक्रय विलेख तथा नामान्तकरण संख्या 712 तथा 325 में वादी का सही नाम मुनेष कुमार का सही नाम दर्ज था लेकिन सेटलमेन्ट के कर्मचारियों द्वारा नवीन जमाबन्दी बनाते समय आराजी ख0नं0 1489 का रकबा 2.18 है0 माल रायपुरिया की आराजी में वादी का नाम मुनेष कुमार के स्थान पर मुकेश गलत नाम दर्ज कर दिया। इसी तरह से खाता संख्या 210 की कुल किता 3 का कुल रकबा 2.81 है0 में मुनेष कुमार के स्थान पर गलत नाम मनीष कुमार दर्ज कर दिया जबकि वादी का सही नाम मुनेष कुमार है। सभी राजकीय दस्तावेजों में वादी का नाम मुनेष कुमार दर्ज है। यह गलती प्रतिवादी के अधिनस्थ कर्मचारियों द्वारा ही की गई है। जिसको वादी दोनों ही खातों में अर्थात वाद पत्र के मद नं0 1 में दर्ज आराजी में मुकेश तथा मनीष कुमार के स्थान पर सही नाम मुनेष कुमार दर्ज करा पाने का अधिकारी है तथा पूर्व में माल बडोरा में उकत आराजी स्थित थी लेकिन वर्तमान में माल बडोरा पटवार हल्का बडोरा का नया मजरा रायपुरिया बन जाने की वजह से अब माल बडोरा के स्थान पर माल रायपुरिया भी दर्ज करा पाने का अधिकारी है। प्रतिवादी के अधिनस्थ कर्मचारियों द्वारा राजस्व रिकार्ड में वादी का गलत नाम दर्ज करने की जानकारी वादी को दिनांक 19.12.2019 को हुई उसके बाद में वादी द्वारा प्रतिवादी के कर्मचारियों द्वारा अपना सही नाम दर्ज कराने का प्रयास किया लेकिन दिनांक 25.08.2022 को प्रतिवादी के कर्मचारियों द्वारा सही नाम दर्ज करने से मना करने पर अन्तिम बार दिनांक 25.08.2022 को वाद कारण उत्पन्न हुआ। वादी इन्द्राज दुरूश्त कराकर यह घोषणा करा पाने का अधिकारी है कि खाता संख्या 98 का ख0नं0 1498 का रकबा 2.18 है0 माल रायपुरिया पटवार हल्का बडोरा की आराजी में गलत नाम मुकेश को सही करते हुये प्रार्थी का सही नाम मुनेष कुमार दर्ज किया जावे। इसी तरह से माल रायपुरिया पटवार हल्का बडोरा की खाता संख्या 95 की आराजी ख0नं0 1502 का रकबा 2.00 है0, ख0नं0 1503 का रकबा 0.03 है0 तथा ख0नं0 1504 का रकबा 0.78 है0 कुल किता 3 का कुल रकबा 2.81 है0 में वादी के गलत नाम मनीष कुमार के स्थान पर सही नाम मुनेष कुमार दर्ज किया जावे। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 19.12.2019 को वादी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने की जानकारी होने पर तथा अन्तिम बार दिनांक 25.08.2022 को प्रतिवादी के कर्मचारियों द्वारा शुद्ध करने से साफ मना करने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। वादी द्वारा धारा 80 सीपीसी का रजिस्टर्ड नोटिस प्रेषित कर दिया है लेकिन

वादी को राज्य सरकार द्वारा वर्तमान मे मिलने वाले लाभ से वंचित होने की वजह से वाद आवश्यक प्रकृति का हो जाने की वजह से धारा 80(2) सीपीसी0 के प्रार्थना पत्र के साथ में वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर वाद की सुनवाई की जावे। वाद पत्र के मद नं0 1 में दर्ज आराजी वाके ग्राम एवं माल रायपुरिया पटवार हल्का बडोरा तहसील अटरू में स्थित होने की वजह से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार तथा श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर दावा हाजा पेश है। अतः वादी माननीय न्यायालय में इन्द्राज दुरूश्ती का वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर माल रायपुरिया पटवार हल्का बडोरा तहसील अटरू की खाता संख्या 98 का ख0नं0 1489 का रकबा 2.18 है0 में वादी का गलत नाम मुकेश को शुद्ध करते हुये मुनेष कुमार सही नाम दर्ज किया जावे। इसी तरह से माल रायपुरिया पटवार हल्का बडोरा की खाता संख्या 95 की कुल किता 3 का कुल रकबा 2.81 है0 में वादी का गलत नाम मनीष कुमार को शुद्ध करते हुये सही नाम मुनेष कुमार दर्ज किया जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया। साक्ष्यवादी के तहत pw 1 मुनेश कुमार पुत्र राजमल जाति मीणा निवासी नारायणपुरा के सशपथ गवाह बयान लेखबद्ध किये गये। साक्ष्य गवाह ने सशपथ बयान किया कि मेरे ग्राम माल बडोरा पुराना ख0नं0 1387 का रकबा 14 बीघा 3 बिस्वा आराजी बद्रीलाल पुत्र दुर्गालाल जाति बारेठ निवासी बडोरा हाल मेरमातालाब के खाते की थी। उक्त आराजी को मुझ मुनेष कुमार द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख द्वारा क्रय की थी। जो मेरे खाते दर्ज हो गई थी। सेटलमेन्ट के द्वारा इसका नया नम्बर 1489 का रकबा 2.89 है0 बनाया है। इसी तरह से ग्राम व माल बडोरा में खाता संख्या 210 का रकबा कुल किता 3 का रकबा 2.81 है0 जो मेने धोली बाई माली निवासी रायपुरिया से क्रय की थी। मेरा स्वयं का नाम विक्रय विलेख व नामान्तरण संख्या 712 व 325 में सही नाम मुनेष कुमार दर्ज था लेकिन सेटनमेंट द्वारा नई जमाबन्दी बनाते समय ख0नं0 1489 का रकबा 2.18 है0 में सही नाम मुनेष कुमार के स्थान पर गलत नाम मुकेश दर्ज कर दिया। इसी तरह से खाता संख्या 210 की कुल किता 3 का रकबा 2.81 है0 में मेरे सही नाम मुनेश कुमार के स्थान पर मनीष कुमार दर्ज कर दिया, जबकि मेरा सही नाम मुनेष कुमार है। सेटलमेन्ट की

गलती को दुरस्त करके खाता संख्या 98 तथा खाता संख्या 210 माल बडोरा की आराजी में सही नाम मुनेश कुमार दर्ज किया जावे।

3. अभिभाषक प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि सेटलमेन्ट की गलती को दुरस्त करके विवादित आराजी ग्राम रायपुरिया पटवार हल्का बडोरा तहसील अटरू की खाता संख्या 98 का ख0नं0 1489 का रकबा 2.18 है0 में वादी का गलत नाम मुकेश को शुद्ध करते हुये मुनेष कुमार सही नाम दर्ज किया जावे। इसी तरह से माल रायपुरिया पटवार हल्का बडोरा की खाता संख्या 95 की कुल किता 3 का कुल रकबा 2.81 है0 में वादी का गलत नाम मनीष कुमार को शुद्ध करते हुये सही नाम मुनेष कुमार दर्ज किया जावे।

4. अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी। बहस के प्रकाश में उपलब्ध रिकार्ड एवं पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। ग्राम रायपुरिया की प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2073–76 के खाता संख्या 98 ख0नं0 1489 रकबा 2.18 है0 आराजी मुकेश पुत्र राजमल के खाते दर्ज है तथा खाता संख्या 95 के ख0नं0 1502 रकबा 2.00 है0, ख0नं0 1503 का रकबा 0.03 है0, ख0नं0 1504 का रकबा 0.78 है0 किता 3 कुल रकबा 2.81 है0 आराजी मनीष कुमार पुत्र राजमल के दर्ज खाता स्थित है।

ग्राम रायपुरिया के खाता संख्या 95 के ख0नं0 1502 रकबा 2.00 है0, ख0नं0 1503 का रकबा 0.03 है0, ख0नं0 1504 का रकबा 0.78 है0 किता 3 कुल रकबा 2.81 है0 आराजी प्रार्थी द्वारा खातेदार दौलीबाई बेवा जगन्नाथ से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.06.2002 से क्रय की थी जिसमें प्रार्थी का सही नाम मुनेष कुमार पुत्र राजमल जाति मीना अंकित है। ग्राम बडोरा की नामान्तरण पंजीका प्रदर्श पी 4ए के अवलोकन से जाहिर है कि ग्राम रायपुरिया के खाता संख्या 95 की आराजी नामान्तरण संख्या 325 दिनांक 24.07.2002 से क्रेता मुनेष कुमार पुत्र राजमल के खाते दर्ज हुई।

ग्राम बडोरा के ख0नं0 1387 की 14 बीघा 3 बिस्वा आराजी के अभिलिखित खातेदार बद्रीलाल पुत्र दुर्गालाल जाति बारेठ से प्रार्थी द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15. 05.1986 से क्रय की थी जिसमें प्रार्थी का सही नाम मुनेष कुमार पुत्र राजमल जाति मीना अंकित है। ग्राम बडोरा की नामान्तरण पंजीका प्रदर्श पी 7ए के अवलोकन से जाहिर है कि ग्राम बडोरा

उक्त विवादित आराजी नामान्तरण संख्या 712 से क्रेता मुनेष कुमार पुत्र राजमल के खाते दर्ज हुई। मिलान क्षेत्रफल के अवलोकन से जाहिर हे कि ग्राम बडोरा के साबिक ख0नं0 1387 का नया ख0नं0 1489 बनाया गया है।

प्रार्थी द्वारा पेश आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम मुनेष कुमार पुत्र राजमल दर्ज है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.05.1986, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.06.2002, ग्राम बडोरा के नामान्तरण संख्या 712 व 325 के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम बडोरा की उक्त विवादित आराजी में सेटलमेन्ट विभाग द्वारा त्रुटि कर ग्राम रायपुरिया के खाता संख्या 98 ख0नं0 1489 रकबा 2.18 है0 आराजी मुकेश पुत्र राजमल तथा खाता संख्या 95 के ख0नं0 1502 रकबा 2.00 है0, ख0नं0 1503 का रकबा 0.03 है0, ख0नं0 1504 का रकबा 0.78 है0 किता 3 कुल रकबा 2.81 है0 आराजी मनीष कुमार पुत्र राजमल के खाते दर्ज कर दी गई जबकि खातेदार का सही नाम मुनेष कुमार पुत्र राजमल है।

5. रिकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

## —::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर. एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल रायपुरिया तहसील अटरू जिला बारां की आराजी खाता संख्या 98 के ख0नं0 1489 रकबा 2.18 है0 आराजी में खातेदार मुकेश पुत्र राजमल के स्थान पर **मुनेश कुमार उर्फ मुकेश पुत्र राजमल** तथा खाता संख्या 95 के ख0नं0 1502 रकबा 2.00 है0, ख0नं0 1503 का रकबा 0.03 है0, ख0नं0 1504 का रकबा 0.78 है0 किता 3 कुल रकबा 2.81 है0 में खातेदार मनीषकुमार पुत्र राजमल के स्थान पर **मुनेश कुमार उर्फ मनीषकुमार पुत्र राजमल** दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

निर्णय आज दिनांक 15.12.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(दिनेश कुमार मीणा)**
**उपखण्ड अधिकारी**
**अटरू जिला बारां**